Particulars	Units	Value	
(b) Units lost in transmission and transformation			
2 Balance units available for consumption or for sale			
3 Units on which reduction is allowable under rule			
11(3) to the first seller			
4 Units of energy on which duty is not leviable under	r		
section 3(2) of the Act [furnish, as signed annexure			
to this return, details of energy sold/consumed in			
respect of each of the clauses (a) to (f) of section 3	}		
(2) of the Act ]			
5 Units sold or consumed on which duty is payable :			
(a) Duty at the rate of 6% of the value of units cons	sumed or sold		
(b) Duty at the rate of 2 paise per unit of energy			
(c) Total Duty			
6 Less adjustment allowable under rule 11(1)			
7 Less rebate at the rate of 1% under sub-section (5)	of section 4		
8 Balance payable			
9 Amount paid:	*		
(a) Draft No. and date/cheque No. and date/ Cash			
(b) Challan No. & Date			

I declare that the above statements/particulars are true and complete to the best of my knowledge and belief.

Date:

Signature Status" (No. Bikri-kar Sansodhan-07/07) By order of the Governor of Bihar, SUBHAKIRTI MAJUMDAR,

Commissioner & Principal Secretary to Government. 20 जुलाई 2007

एस0 ओ0 61, दिनांक 20 जुलाई, 2007–बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम XXXV) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार–राज्यपाल बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984 में निम्न संशोधन प्रस्तावित करते हैं जिनका प्रारूप उक्त धारा की उप–धारा (1) द्वारा यथापेक्षित एतद् द्वारा सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है।

2. दिनांक 8 अगस्त 2007 या इसके पूर्व प्राप्त किसी आपत्ति तथा सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

## संशोधन

1. बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984 (इसके बाद ''उक्त नियमावली'' के रूप में निर्दिष्ट) के नियम 19क में संशोधन— उक्त नियमावली का नियम 19क निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः—

"19क. केबुल सेवा या केबुल टेलिविजन नेटवर्क के स्वामी अथवा मनोरंजन प्रदान करनेवाले द्वारा अधिनियम के अधीन देय कर के बदले नियत की गयी राशि का भुगतान ।– (1) इस बात का विचार किये बिना कि केबुल सेवा अथवा केबुल टेलिविजन नेटवर्क पर प्रदर्शित क्रार्यक्रम किसी ऐसे सेवा या माल की आपूर्ति के साथ सम्मिलित है जिसके लिए किसी व्यक्ति से एकमुस्त राशि प्रभारित की जा रही है, धारा 3कक के अधीन देय समेकित कर की राशि केबुल सेवा या केबुल टेलिविजन नेटवर्क के स्वामी द्वारा दिये गए प्रत्येक संबंधन पर पन्द्रह रूपये प्रति माह प्रति संबंधन की दर से भुगतान किया जायेगा।

(2) इस बात का विचार किये बिना कि मनोरंजन प्रदान करनेवाले व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित क्रार्यक्रम किसी ऐसे सेवा या माल की आपूर्ति के साथ सम्मिलित है जिसके लिए किसी व्यक्ति से एकमुस्त राशि प्रभारित की जा रही है, धारा उककक के अधीन देय समेकित कर की राशि मनोरंजन प्रदान करनेवाला द्वारा दिये गए प्रत्येक संबंधन पर पन्द्रह रूपये प्रति माह प्रति संबंधन की दर से भूगतान किया जाये।

> (सं0—बिक्री—कर / संशोधन—07 / 07) बिहार—राज्यपाल के आदेश से, शुभकीर्ति मजुमदार, आयुक्त—सह–सरकार के प्रधान सचिव।

## 20 जुलाई 2007

एस0ओ062—एस0 ओ061,दिनांक 20 जुलाई, 2007 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधि ाकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

> (सं0–बिक्री–कर⁄संशोधन–07⁄07) बिहार–राज्यपाल के आदेश से, शुभकीर्ति मजुमदार, आयुक्त–सह–सरकार के प्रधान सचिव।

## The 20th July 2007

S.O.61,dated the 20th July,2007—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 (Bihar Act XXXV of 1948), the Governor of Bihar proposes to make the following amendments in the Bihar Entertainment Tax Rules, 1948 the draft of which is hereby published as required by sub-section (3) of the said section for information.

2. Any objection or suggestion received on or before 8th August 2007 will be considered by the State Government.

## AMENDMENTS

1. Amendment of rule 19A of the Bihar Entertainment Tax Rules, 1984 (hereinafter referred to as "the said rules")— Rule 19A of the said rules shall be substituted in the following way, namely:-

"19A. Payment of fixed sum in lieu of tax payable under the Act by proprietor of cable Service or Cable Television Network or by an entertainment provider.— (1) The consolidated amount of tax payable under Section 3AA shall be paid by the proprietor of any Cable Service or Cable Television Network for each connection given to the subscriber at the rate of fifteen rupees per connection per month irrespective of whether exhibition of programmes through Cable Service or Cable Television Network is combined with any service or supply of any goods for which a lump sum is charged from a person.

(2) The consolidated amount of tax payable under Section 3AAA shall be paid by the entertainment provider for each connection given to the subscriber at the rate of fifteen rupees per connection per month irrespective of whether exhibition of programmes by the entertainment provider is combined with any service or supply of any goods for which a lump sum is charged from a person.

(No. Bikri-kar Sansodhan-07/07) By order of the Governor of Bihar, SUBHAKIRTI MAJUMDAR, Commissioner & Principal Secretary to government.

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 666-571+1000-डी0 टी0 पी0।